अपील सूचना अधिकार संख्या 75/2022(GCMS 2022/256)(आरटीआई संख्या 212620042283701) श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री हरि सिंह, म.नं. 56, वैशाली नगर, त्रिवेणी स्कूल के पास, उदासर रोड़, बीकानेर (राज.) – 334022(मोबाईल नं. 98296–70896) बनाम तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.03.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी विक्रम सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.09.2022 से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर कार्यवाही करने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी विक्रम सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.09.2022 के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ़ से निम्न चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. सन् 1970 से 1985 तक राजस्थान नहर परियोजना में गांव फेफाना जिला श्रीगंगानगर (वर्तमान त. नोहर जिला हनुमानगढ़, राजस्थान) किन–किन निवासीओ को कितनी कितनी बीघा जमीन आवंटित की गई है, उन लोगो के नाम, पिता का नाम, जाति, पूरा पता उपलब्ध करवायें।
2. आवंटित भूमि की मात्रा, मुरब्बा नम्बरा, खसरा नम्बर तहसील एवं जिला की पूरी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करवायें।
3. आवंटित भूमि की प्रकार किस्म का विवरण उपलब्ध करवायें।
4. आवंटित भूमि का नक्शा, रिकॉर्ड सम्पूर्ण उपलब्ध करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:46 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक टीआरए/2023/30 दिनांक 10.01.2023 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है:

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में वांछित सूचना के सम्बन्ध में बिन्दुवार रिपोर्ट/सूचना निम्नानुसार है:

1. बिन्दु सं. 1 प्रश्नवाचक है, सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं हैं
2. बिन्दु सं. 2 ता 4 बिन्दु संख्या 1 के क्रम में प्रश्नवाचक होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है।

आवेदक द्वारा रिकॉर्ड के सम्बन्ध में अनवान् एवं आवश्यक विवरण सहित सूचना मांगे जाने पर वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी।

प्रकरण में रिपोर्ट/सूचना श्रीमान् की सेवा में सादर प्रेषित है।

-sd-
तहसीलदार (राजस्व)
सूरतगढ़

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि तहसीलदार, सूरतगढ़ ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, जो सही है परन्तु उनके द्वारा अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र दिनांक 06.09.2022 द्वारा चाही गई सूचनाओं पर कोई उत्तर दिया जाना प्रतीत नहीं होता है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 07 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्णय किया जावे। **आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:46 IST
Reason: SelfAttested